भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)
****

No: 88/RS(G)/779/14 Pt. **New Delhi, dated: 22.9.2017**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/N. Delhi, RWP/Bela
CMD/MDs, All Railway PSUs

Sub. : Procurement of common use Goods and Services through Government e-Marketplace (GeM).

Ref. : (i) Railway Board's letter No.88/RS(G)/779/14 Pt. dated 06/01/2017
(ii) Railway Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. dated 27/07/2017
(iii) Ministry of Finance O.M No. F.26/4/2016.PPD dated 20.09.2016 (copy enclosed).
(iv) Department of Commerce O.M No. Reforms/Regn/Govt.Buyer/1/2016 -GeM dated 09/12/2016 (copy enclosed).
(v) Department of Commerce O.M No. Reforms/Regn/Govt.Buyer/1/2016-GeM dated 06/02/2017 (copy enclosed).

***

In supersession to this office letter referred at **(ii)** above, following guidelines are issued on the subject matter:

1.0 **Rule 149** of General_Financial Rules (GFR) - 2017, issued by Ministry of Finance legislate as under :

Government e-Market place (GeM): *DGS&D or any other agency authorized by the Government will host an online Government e-Marketplace (GeM) for* ***common use Goods and Services****. DGS&D will ensure adequate publicity including periodic advertisement of the items to be procured through GeM for the prospective suppliers. The Procurement of Goods and Services by Ministries or Departments will be mandatory for Goods or Services available on GeM.* ***The credentials of suppliers on GeM shall be certified by DGS&D****. The procuring authorities will certify the* ***reasonability of rates****. The GeM portal shall be utilized by the Government buyers for direct on-line purchases as under :*

(i) *Up to Rs.50,000/- through any of the available suppliers on the GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period.*

(ii) *Above Rs.50,000/- and up to Rs.30,00,000/- through the GeM Seller having lowest price amongst the available sellers, of at least three different manufacturers, on GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period. The tools for online bidding and online reverse auction available on GeM can be used by* ***the Buyer if decided by the competent authority.***

(iii) *Above Rs.30,00,000/- through the supplier having lowest price meeting the requisite quality, specification and delivery period after* ***mandatorily obtaining bids, using online bidding or reverse auction tool provided on GeM.***

(iv) *The invitation for the online e-bidding/reverse auction will be available to all the existing Sellers or other Sellers registered on the portal and who have offered their goods/services under the particular product/service category, as per terms and conditions of GeM.*

(v) *The above mentioned monetary ceiling is applicable only for purchases made through GeM.* ***For purchases, if any, outside GeM, relevant GFR Rules shall apply.***

(vi) *The Ministries/Departments shall work out their procurement requirements of Goods and Services on either "OPEX" model or "CAPEX" model as per their requirement/ suitability at the time of preparation of Budget Estimates (BE) and shall project their Annual Procurement Plan of goods and services on GeM portal within 30 days of Budget approval.*

(vii) *The Government Buyers may ascertain the reasonableness of prices before placement of order using the Business Analytics (BA) tools available on GeM including the Last Purchase Price on GeM, Department's own Last Purchase Price etc.*

(viii) *A demand for goods shall not be divided into small quantities to make piecemeal purchases to avoid procurement through L-1 Buying / bidding / reverse auction on GeM or the necessity of obtaining the sanction of higher authorities required with reference to the estimated value of the total demand.*

2.0 It has been decided that procurement of common use Goods and Services, available on GeM, should be done using the services of GeM.Seamless integration of GeM, iMMS and Railways' payment system (IPAS) is being actively pursued with GeM/DGS&D and CRIS to ensure full utilisation of services of GeM.Following guide lines are issued for successful implementation of procurement through GeM.

(a) **Delegation of purchase powers shall be as follows:**

Delegation of powers, authority for approval and limits thereof on such delegation or authority, as circulated vide Railway Board letter **No.88/RS(G)/779/14 Pt. dated 06/01/2017(Refer Para 2.6, 2.7& 2.10)** in relation to placement of purchase order for items available on DGS&D Rate contracts shall now apply for procurement of common use Goods and Services available on GeM, without going into the formalities of Tender Committee examination, as followed in existing system of placement of purchase order against DGS&D rate contracts.

(b) **Enrolment of Users (user includes indentor, purchaser, consignee, paying authority)**:

(i) Procedure, terms and conditions for enrolment of user is available on GeM website.

(ii) User can also refer to Department of Commerce Office Memorandum No. Reforms/Regn/Govt.Buyer/1/2016-GeM dated 09/12/2016 and dated 06/02/2017 (copy enclosed for ready reference).

(iii) Users should continuously update themselves about these terms and conditions by regularly visiting GeM website.

(iv) For procurement through GeM, IRS Conditions of Contracts will not be applicable.

(c) Procedure for placement of contract through GeM has been detailed in the user manual available online on GeM website.

(d) Bidding or Reverse Auction on GeM, as prescribed in Para 1 (ii) and (iii) above, shall be conducted by the purchase officer competent to accept the offer.

(e) In case of failure of order placed through GeM, purchaser may, after recording detailed reasons, procure that item through normal procurement procedure, outside GeM. Such specific cases, where procurement of common use Goods or Services available on GeM, is done outside GeM, due to failure of vendor selected through GeM, shall be treated as if the said Goods or Services are not available on GeM. Such failures shall be reported to GeM.

(f) If any Buyer want to include any Additional Special Terms and Conditions, over and above the General and Special Terms Conditions available in GeM, then the same have to be incorporated in the Tender /Bidding Process. However, the buyer has to ensure that there is no violation of General and Special Terms and Conditions for Sale/Purchase of Goods and Services in GeM.

(g) **Placement of covering P.O. and Data porting to iMMS:** Pending integration of iMMS with GeM, procedure as is being followed for dealing with DGS&D Rate/Running contracts shall also be followed for placement of covering PO and data porting to iMMS, for procurement through GeM.

(h) **Acceptance of Material:** Acceptance of material shall be governed by General Terms and Conditions for Sale/Purchase of Goods and Services on GeM and Ministry of Finance Office Memorandum no. F.26/4/2016.PPD dated 20/09/2016 (copy enclosed for ready reference), and additional special terms and conditions, if any, incorporated by the buyer in the Bidding Process.

(i) **Payment:**

(a) Procedure for payments to sellers/suppliers in GeM has been mandated and circulated by the Ministry of Finance vide O.M. no. F.26/4/2016.PPD dated 20.09.2016, which needs to be followed by Ministry of Railways and its PSUs.

(b) Attention is also drawn to the **Para 13 of the General Terms and Conditions** for Sale/Purchase of Goods and Services in GeM, which is reproduced below:

Paying Authority and Payment Terms:

If the buyer is not using any on-line payment portal/method ***or integration of payment portal of buyer with GeM portal is not yet complete,*** *Off-line*

Jasanga

payments can be made using existing payment methods of the buyer organization. However, the process up to bill-processing by Buyer will have to be completed on GeM portal itself and all e-signed documents available on GeM portal shall be accepted for such off-line processing of bills. There shall be no need for getting such documents signed by issuing authorities. Also the time lines prescribed for payment has to be adhered to even in case of off-line payments.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(J. C. Taneja)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-II
Railway Board

No: 88/RS(G)/779/14 Pt. **New Delhi, dated 22.9.2017**

1. PFAs, All Indian Railways & Production Units
2. The ADAI(Railways), New Delhi
3. The Directors of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No: 88/RS(G)/779/14 Pt. **New Delhi, dated 22.9.2017**

1. PCMMs, PCEs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. MD, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi
4. MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurugram
5. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
6. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
7. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
8. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

(J. C. Taneja)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-II
Railway Board

No: 88/RS(G)/779/14 Pt. **New Delhi, dated 22.9.2017**

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

(J. C. Taneja)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-II
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MoS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T),DG(Personnel),DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD
नई दिल्ली/NEW DELHI

सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक 22.9.2017**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे(निर्माण), कोर
महानिदेशक/अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ एवं एनएआईआर/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, रेलवे के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विषय: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रापण।

संदर्भ: (i) रेलवे बोर्ड का दिनांक 06/01/2017 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट.
(ii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 27/07/2017 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट.
(iii) वित्त मंत्रालय का दिनांक 20/09/2016 का कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.26/4/2016.पीपीडी (प्रतिलिपि संलग्न).
(iv) वाणिज्य विभाग का दिनांक 09/12/2016 का कार्यालय ज्ञापन सं. रिफॉर्म्स/आरईजीएन/गव.बायर/1/2016-जीईएम (प्रतिलिपि संलग्न)
(v) वाणिज्य विभाग का दिनांक 06/02/2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. रिफॉर्म्स/आरईजीएन/गव.बायर/1/2016-जीईएम (प्रतिलिपि संलग्न)

इस कार्यालय के ऊपर संदर्भ (ii) में दिए गए पत्र का अधिक्रमण करते हुए इस विषय-वस्तु के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:

1.0 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) - 2017 के नियम 149 में निम्नानुसार नियम की व्यवस्था की गई है:

गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम): डीजीएसएण्डडी या सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी वस्तु एवं सेवाओं का सामान्य उपयोग के लिए ऑनलाइन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की व्यवस्था करेगी। डीजीएसएण्डडी प्रत्याशित आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीईएम के माध्यम से खरीदे जाने वाले मदों का आवधिक विज्ञापन सहित पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगी। जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं की मंत्रालयों या विभागों द्वारा खरीद किया जाना अनिवार्य है। जीईएम पर मौजूद आपूर्तिकर्ताओं की प्रमाणिकता डीजीएसएण्डडी द्वारा सत्यापित की जाएगी। खरीद करने वाले प्राधिकारियों द्वारा दरों का औचित्य सत्यापित किया जाएगा। सीधे लॉनलाइन खरीद के लिए सरकारी खरीददारों द्वारा जीईएम पोर्टल का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) अपेक्षित गुणवत्ता, विशिष्टियों और सुपुर्दगी अवधि पूरा करने वाले जीईएम पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ₹ 50,000/- तक।

(ii) अपेक्षित गुणवत्ता, विशिष्टि एवं सुपुर्दगी अवधि को पूरा करने वाले कम-से-कम तीन अलग-अलग विनिर्माताओं के उपलब्ध विक्रेताओं में से सबसे कम मूल्य वाले जीईएम विक्रेता के माध्यम से ₹ 50,000/- से अधिक और ₹ 30,00,000/- तक। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय किया जाता है तो क्रेता द्वारा जीईएम पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली और ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के माध्यम का उपयोग किया जा सकता है।

(iii) जीईएम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिड या रिवर्स नीलामी के माध्यम का उपयोग करके अनिवार्यत: बिड प्राप्त करने के बाद अपेक्षित गुणवत्ता, विशिष्टि और सुपुर्दगी अवधि पूरा करते हुए सबसे कम मूल्य वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ₹ 30,00,000/- से अधिक।

(iv) ऑनलाइन ई-बिडिंग/रिवर्स नीलामी के लिए आमंत्रण उन सभी विक्रेताओं या पोर्टल पर पंजीकृत अन्य विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने जीईएम के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार विशिष्ट उत्पाद/सेवा कोटि के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करने की पेशकश की हो।

(v) उपर्युक्त मौद्रिक सीमा केवल जीईएम के माध्यम से की जाने वाली खरीद के लिए लागू होगी। **यदि कोई खरीद जीईएम से बाहर से की जाती है तो उनके लिए संबंधित जीएफआर नियम लागू होंगे।**

(vi) मंत्रालय/विभाग बजट अनुमान तैयार करते समय अपनी आवश्यकता/उपयुक्तता के अनुसार "ऑपेक्स" अथवा "कैपेक्स" मॉडल पर वस्तुओं एवं सेवाओं की अपनी खरीद आवश्यकता का आकलन करेंगे और बजट स्वीकृत होने के 30 दिनों के भीतर जीईएम पोर्टल पर वस्तुओं एवं सेवाओं की अपनी वार्षिक खरीद योजना दर्शाएंगे।

(vii) सरकारी खरीदकर्ता जीईएम पर अंतिम खरीद मूल्य, विभाग का अपना अंतिम खरीद मूल्य आदि सहित जीईएम पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषण टूल्स का उपयोग करके आदेश प्रस्तुत करने से पहले मूल्यों की उपयुक्तता का पता लगा सकते हैं।

(viii) एल-1 खरीद/बिड/रिवर्स नीलामी के माध्यम से खरीद करने या कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चत्तर प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए, टुकड़ों में खरीद करने के लिए वस्तुओं की किसी मांग को छोटे-छोटे भागों में नहीं बॉटा जाएगा।

2.0 यह निर्णय लिया गया है कि जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं का सामान्य उपयोग जीईएम की सेवाओं का उपयोग करके किया जाए। जीईएम, आईएमएमएस और रेलवे की भुगतान प्रणाली (आईपीएएस) का निर्बाध एकीकरण का कार्य जीईएम/डीजीएस एण्ड डी और क्रिस के साथ सक्रिय रूप से किया जा रहा है ताकि जीईएम की सेवाओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। जीईएम के माध्यम से खरीद के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:

(क) क्रय शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार होगा:

डीजीएस एण्ड डी दर संविदाओं पर उपलब्ध मदों के लिए खरीद आदेश प्रस्तुत करने से संबंधित रेलवे बोर्ड के दिनांक 06.01.2017 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट (पैरा2.6, 2.7 तथा 2.10 देखें) के तहत परिपत्रित शक्तियों का प्रत्यायोजन, स्वीकृति के लिए प्राधिकार और उस प्रत्यायोजन या प्राधिकार की सीमा अब निविदा समिति की जांच की औपचारिकताएं पूरी किए बिना जीईएम पर उपलब्ध सामान्य उपयोग वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए लागू किया जाएगा और डीजीएसएण्डडी दर संविदाओं के तहत खरीद आदेश प्रस्तुत करने की मौजूदा प्रणाली को ही इसके लिए अपनाया जाएगा।

(ख) उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण (उपयोगकर्ता में मांग प्रस्तुतकर्ता, क्रेता, परेषिती, भुगतानकर्त्ता प्राधिकारी शामिल हैं)

(i) उपयोगकर्ता का पंजीकरण करने की प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें जीईएम के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ii) उपयोगकर्त्ता वाणिज्य विभाग के दिनांक 09.12.2016 और 06.02.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. रिफॉर्म्स/रजिस्ट्रेशन/गवर्नमेंट.वायर/1/2016-जीईएम (तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) का भी अवलोकन कर सकते हैं।

(iii) उपयोगकत्ता को नियमित रूप से जीईएम वेबसाइट पर जाकर इन निबंधन एवं शर्तों के बारे में स्वयं को अपडेट करना चाहिए।

(iv) जीईएम के माध्यम से खरीद करने के लिए संविदाओं की आईआरएस शर्तें लागू नहीं होंगी।

(ग) जीईएम के माध्यम से संविदा प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया जीईएम वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध यूजर मैन्यूअल में दी गई है।

(घ) जीईएम पर बिड या रिवर्स नीलामी जिसका उल्लेख ऊपर पैरा (i) और (ii) में किया गया है, प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए सक्षम खरीद अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।

(ड.) जीईएम के माध्यम से प्रस्तुत आदेश विफल हो जाने के मामले में, खरीदकर्ता विस्तृत कारणों का उल्लेख करने के बाद उस मद को जीईएम से बाहर सामान्य खरीद प्रक्रिया के माध्यम से खरीद सकता है। ऐसे विशिष्ट मामलों को, जहां जीईएम के माध्यम से चुने गए वेंडर के विफल होने के कारण जीईएम पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद जीईएम से बाहर से की जाती है, ऐसा माना जाएगा जैसे कि मानो एसी वस्तुएं एवं सेवाएं जीईएम पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की विफलता के मामले को जीईएम को सूचित किया जाएगा।

(च) यदि कोई क्रेता जीईएम में उपलब्ध सामान्य एवं विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अलावा कोई अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें शामिल करना चाहता हो तो उसे निविदा/बिड प्रक्रिया में शामिल करना होगा। बहरहाल, क्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीईएम में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री/खरीद से संबंधित किसी सामान्य एवं विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन न हो।

(छ) **आईएमएमएस को पूरक पी.ओ. और डाटा पोर्टिंग प्रस्तुत करना:** जीईएम के साथ आईएमएमएस को जोड़ने के लंबित होने तक, जीईएम के माध्यम से खरीद करने के लिए आईएमएमएस को पूरक पी.ओ. प्रस्तुत करने और डाटा पोर्टिंग के लिए भी वहीं प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो डीजीएसएण्डडी की दर/रनिंग संविदाओं की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(ज) सामग्री स्वीकार करना: सामग्री की स्वीकृति जीईएम पर वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए सामान्य निबंधन एवं शर्तों, और वित्त मंत्रालय के दिनांक 20.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.26/4/2016.पीपीडी (तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) और बिड प्रक्रिया में क्रेता द्वारा शामिल की गई अतिरिक्त विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों, यदि कोई हो, के अनुसार किया जाएगा।

(झ) भुगतान:

(क) जीईएम में विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया से संबंधित आदेश का उल्लेख है और उसे वित्त मंत्रालय के दिनांक 20.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.26/4/2016.पीपीडी के तहत परिपत्रित किया गया है जिसका अनुपालन रेल मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) आपका ध्यान जीईएम में वस्तुओं एवं सेवाओं की विक्री एवं खरीद के लिए सामान्य निबंधन एवं शर्तों के पैरा 13 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसे नीचे पुन: दिया गया है:

भुगतानकर्त्ता प्राधिकारी एवं भुगतान की शर्तें:

यदि क्रेता किसी ऑन-लाइन भुगतान पोर्टल/पद्धति का उपयोग नहीं करता है या क्रेता के भुगतान पोर्टल का जीईएम के साथ जोड़ने का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो क्रेता संगठन के मौजूदा भुगतान पद्धतियों का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। बहरहाल, क्रेता द्वारा बिल संबंधित प्रक्रिया आरंभ करने तक प्रक्रिया केवल जीईएम पोर्टल पर ही पूरी करनी होगी और बिलों की इस प्रकार की ऑफ-लाइन प्रक्रिया के लिए जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध सभी ई-हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वीकर किए जाएंगे। ऐसे दस्तावेजों पर जारीकर्त्ता प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, ऑफ-लाइन भुगतान के मामलों में भी भुगतान के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन किया जाना होगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

जे.सी.तनेजा

(जे. सी. तनेजा)
उप निदेशक रेल भंडार (जी)-II
रेलवे बोर्ड

सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक 22.9.2017**

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
2. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली.
3. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 22.9.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पीसीएमएम, पीसीई, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला.
2. **निदेशक-**
   - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकन्दराबाद
   - ख.भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
   - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
   - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), नेशनल अकादमी ऑफ इण्डियन रेलवे, वडोदरा
   - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
   - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
4. प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुरूग्राम
5. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
6. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ
7. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
8. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाड़िया सर्कल, उदयपुर

जे सी तनेजा

(जे. सी. तनेजा)
उप निदेशक रेल भण्डार(सा.)-II
रेलवे बोर्ड

सं. 88/आरएस(जी)/779/14पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 22.9.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन।

जे सी तनेजा

(जे. सी. तनेजा)
उप निदेशक रेल भण्डार(सा.)-II
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:- वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस/पीएस

1. रेल मंत्री, रेल राज्यमंत्री(एस), रेल राज्यमंत्री(जी)
2. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य कर्षण, सदस्य रेल भंडार, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सचिव, महानिदेशक(रेल भंडार), महानिदेशक(एस एण्ड टी), महानिदेशक(कार्मिक), महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवा), महानिदेशक(रेल सुरक्षा बल)
3. रेलवे बोर्ड के सभी अपर सदस्य, सलाहकार और कार्यपालक निदेशक